



उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
31/22	212 RTA	खंजडा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
छीतरलाल	बनाम	लदूर वगै.	

वकील :- मानु कुमार दुष्टा एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/22	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-07-2022 को पेश हो।</p>	
4/22	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.8.22 को पेश हो।</p> <p align="center">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा) </p>	
28/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कुल 1 नं० के बाद तालील समस्त प्रार्थी प्रतिवादी 1, 3, 5 नं० की ओर से श्री हेमराज कुशवाह एडवो. का बकायत नामो पेश हुआ। प्रतिवादी प्रतिवादी कुल 2 के अग्र श्रुतता के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकराफ्त कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी की तलवी हेतु तलवना। पत्रावली दिनांक 5/10/22 को पेश हो।</p>	
5/22	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.11.22 को पेश हो।</p> <p align="center">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा) </p>	

कार्यवाही एवं आदेश

न्यायालय

दिनांक

18-11-24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय करियर अधीन काजगी
 को 4 वीं तल्लरी से तल्लरीका पेश करे। पत्रावली
 वाले तल्लरी। जकार दिनांक 17-12-24 की पेश हो

✓

12-12-24 पत्रावली पेश हुई। नकील नादी एवं अन्य वाली उपर
 गली है। न्यायालय के कल-कल कर तीन बार
 कागज लावई गई। न्यायावली स्थिति होने तक
 इंतजार किया गया। कोई उपर गली हुआ। प्रत्यक्ष
 कल-कल कर दिशवी के खारिज किया जाता है।
 पत्रावली पेशाल सुमार दोकर साखिस उपर हो।

✓